बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक– 01-05-26

सं०–एम–4–03 / 2021 4053 / वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिसूचना संख्या–8550 दिनांक–07.08.2024 द्वारा प्रवृत्त बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नीति बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) यह नीति बिहार खरीद अधिमानता (संशोधन) नीति, 2026 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–8550 दिनांक–07.08.2024 द्वारा प्रवृत्त बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 की कंडिका–13(4) पूर्ण रूप से एवं कंडिका–10(1) में अंकित शब्द समूह ''(अनन्य सूची की वस्तुओं को छोड़कर)'' विलोपित करते हुए कंडिका–3(7), 3(16), 9 एवं 13 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :–

कंडिका 3(7)–स्थानीय औद्योगिक इकाई / उद्यम का आशय ऐसे उद्यम से है जिसके द्वारा खरीदने के लिए पेश की गई वस्तुएं या सेवाएं इस नीति के तहत निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री या अन्य संबंधित मापदंडों को पूरा करती हों। इसमें कंडिका 9 में परिभाषित ''राज्य के उद्यम'' भी शामिल होंगे।

कंडिका 3(16)–राज्य के उद्यम का अभिप्राय बिहार में अवस्थित एवं संचालित तथा उद्यम निबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई सहित सभी औद्योगिक इकाईयों एवं स्टार्ट–अप (जैसा कि बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 यथा समय–समय पर संशोधित, में परिभाषित है)से है।

कंडिका 9. राज्य के उद्यम के लिये मापदंड–कंडिका 13 के तहत वर्णित राज्य के उद्यमों को किसी क्रेता इकाई के द्वारा अतिरिक्त अधिमानता दी जाएगी।

(क) बिहार में अवस्थित एवं संचालित तथा ''उद्यम'' निबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई सहित राज्य के सभी औद्योगिक इकाई।

(ख) स्टार्ट अप (जैसा कि बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 यथा समय–समय पर संशोधित, में परिभाषित है)।

बशर्ते कि राज्य के उद्यम निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों :

(i) वे राज्य की विद्यमान नीतियों के तहत अपात्र घोषित नहीं हुए हों, और

(ii) उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त अच्छी हो।

कंडिका 13. राज्य के उद्यमों के लिये अधिमानतायें– बिहार में उद्यमों की वृद्धि को सुगम बनाने और स्थानीय उद्यमों को अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बिहार में स्थापित उद्यमों को निम्न अधिमानता दी जायेगी :

(क) राज्य के उद्यमों को निविदा के सेट मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें अग्रधन राशि/निविदा के लिए प्रतिभूति राशि का भुगतान करने से छूट मिलेगी।

(ख) राज्य के उद्यमों के लिए वार्षिक बिक्री या कंपनी की आयु एवं अनुभव के मापदंडों में 50 प्रतिशत कमी की जाएगी बशर्ते कि वे आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की तकनीकी विशेषताओं को पूरा करते हों।

(ग) राज्य के उद्यमों को 50 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि ही जमा करानी होगी। हालांकि क्रयादेश पाने के बाद अगर वे बिना उपयुक्त कारण के आपूर्ति करने में असफल होते हैं तो उनके विरुद्ध बिहार वित्त नियमावली के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(घ) विलोपित।

(ड़) सरकारी खरीद में राज्य के उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संबंधित विभाग या क्रेता इकाईयों द्वारा राज्य के उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता–विक्रेता बैठकें भी आहूत की जा सकती हैं।

(च) मनोनयन या सीमित निविदा के आधार पर स्टार्ट–अप इकाइयों से खरीद के लिए विशेष प्रावधान :

(i) प्रशासी विभाग के प्रभारी सचिव सभी स्टार्ट–अप इकाइयों को उनके कार्यक्षेत्र में एक साल में कुल 50 लाख रु. (पचास लाख रुपए मात्र) तक प्रति स्टार्ट–अप 10 लाख रुपये तक अधिकतम कार्य सीमा के अध्यधीन मनोनयन के आधार पर वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित कार्य आवंटन कर सकते है। इस प्रावधान के तहत प्रशासी विभाग को लाभार्थी स्टार्ट–अप इकाइयों के लिए एक साल में 50 लाख रुपये की वित्तीय सीमा निर्धारित रहेगी चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। एक स्टार्ट–अप अपने पूरे जीवन काल में इस नीति के अन्तर्गत एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।

(ii) प्रशासी विभाग 25 लाख रुपये तक की वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित कार्य हेतु केवल स्टार्ट–अप के मध्य सीमित निविदा का विकल्प चयनित कर न्यूनतम बोलीकर्त्ता को आदेश प्रदान कर सकता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1.5.21

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–एम–4–03/2021.....4053..... **/वि०** **पटना, दिनांक**.01-05-2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1.5.26
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–एम–4–03/2021.....4053..... **/वि०** **पटना, दिनांक**.01-05-2026

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1.5.26
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–एम–4–03/2021.....4053..... **/वि०** **पटना, दिनांक**.01-05-2026

प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1.5.26
सचिव (व्यय)